

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)



प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 23/2017

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

(प्रार्थी)

बनाम

श्री दीपक जैन पुत्र अशोक जैन उम्र 34 वर्ष जाति जैन निवासी सी 43 नाकोडा कॉलोनी बारों जिला बारों
(विक्रेता व मालिक) मैसर्स चम्बल डेयरी एवं स्वीटस, खजूरपुरा तिराहा बारों जिला बारों

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :- 1- श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ.
2- श्री प्रिय दर्शन शर्मा अभिभाषक

(प्रार्थी स्वयं)
(अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 26.12.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.11.2016 को मैसर्स चम्बल डेयरी एवं स्वीटस, खजूरपुरा तिराहा बारों जिला बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री दीपक जैन पुत्र अशोक जैन (मालिक एवं विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 26.11.2016 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य वस्तु **घी (खुला)** लगभग 30 कि०ग्रा० मात्रा में विक्रय हेतु स्टील की टंकी में रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य वस्तु **घी (खुला)** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं० 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा खाद्य वस्तु **घी (खुला)** विक्रेता से 800 ग्राम तपेली में तुलवाकर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री दीपक जैन पुत्र अशोक जैन को 320/- रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु घी (खुला) 800 ग्राम को चार नमूना भागो मे विभक्त कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी कौंच की शिशिया दिखाकर प्रत्येक नमूना भाग को प्रत्येक शिशि मे भरकर, लेबल तैयार कर प्रत्येक शिशि पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-682 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना शिशियो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना शिशि पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-682 नियमानुसार चारो नमूना शिशियो पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना शिशि पर विक्रेता एवं गवाहो के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे तथा मेने भी नमूना शिशियो पर हस्ताक्षर कर चारो नमूना शिशियो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री दीपक जैन पुत्र अशोक जैन ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वयं द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति को सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/348 दिनांक 26.12.2016 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 487/FSSA/Kota/Act/2016/411 दिनांक 13.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य वस्तु घी (खुला) 800 ग्राम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के तहत अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.7.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ज्य सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ज्य अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया उसके पश्चात प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य वस्तु घी (खुला) 800 ग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह कौंच मे अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि मद नं0 1 अप्रार्थी से संबंधित नहीं है। प्रमाणित दस्तावेज से साबित किया जाना चाहिए। मद नं0 2 परिवाद मे विवरण की कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई है, इसलिए अस्वीकार है। मद नं0 3 परिवाद का विवरण स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीगण से खाली कागज पर हस्ताक्षर कराए गए है। मद नम्बर 4 परिवाद मे नमूना कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई है, इसलिए अस्वीकार है। मद नं0 5 परिवाद अस्वीकार है। मद नं0 6 परिवाद मे वर्णित विवरण की कार्यवाही परिवादी प्रमाणित रूप से साबित करे। मद नं0 7 परिवाद अस्वीकार है। मद नं0 8 परिवाद मे वर्णित तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया जाना चाहिए। मद नं0 9 अस्वीकार है। अप्रार्थी के विरुद्ध असत्य तथ्यों पर यह कार्यवाही पेश की है। अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये घी मे किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी ने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच कर्य किया गया, खाद्य पदार्थ वस्तु **घी (खुला) 800 ग्राम** जाँच में **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को 10,000/- रूपये अक्षरे दस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्मे चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)